लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1/10/12.

क्रमांक/शि.क./2012/1119

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त आयुक्त नगर निगम,
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत,
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत,

मध्यप्रदेश।

विषयः– **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में।**

संदर्भ :– **लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/शि.क./2012/1106 दिनांक 28.09.12**

---0---

संचालनालय का संदर्भित पत्र द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों के नियोजन के संबंध में ऑनलाईन सत्यापन प्रक्रिया का डेमो परिशिष्ट–3 अनुसार जारी किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में पात्रताधारी अंकों में नियम के अनुसार दिये गये प्रावधान का उल्लेख त्रुटिवश नहीं हो पाया था। ऑनलाईन सत्यापन प्रक्रिया के डेमो में आवश्यक सुधार किया गया है। संलग्न संशोधित परिशिष्ट–3 अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"</u>

संलग्न : उपरोक्तानुसार

1/10/2012

(एस.बी. धोटे)
उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 1/10/12.

पृष्ठां. क्रमांक/शि.क./2012/1120

प्रतिलिपिः–

1. सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड़, भोपाल, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

परिशिष्ट –3
संशोधित

Online सत्यापन प्रकिया का Demo

- यह साइट Internet Explorer पर ही खोलें । इसके माध्यम से आप 5.10.2012 तक अभ्यास करके देख सकते है।
- Url टाइप करे– http://demo.mponline.gov.in/portal/mdex.aspx टाइप करें
- Login पर जाएं
- Login पर click करने पर G2G दिखेगा
- G2G पर click करें ।
- User Id एवं Password मांगेगा
- User Id एवं Password डालने पर दो चीजें दिखेंगी –
    - Document Verification
    - Choice Filling
- Document Verification पर click करें ।
- Roll No मांगेगा । 200001 से 2000070 के बीच का कोई भी Roll No. डालें
- संबंधित अभ्यर्थी की पूरी जानकारी सामने आएगी ।
- नाम चेक कर सबसे पहले D.ed. की मार्कशीट देखें । यदि मार्कशीट है तो Yes पर click करें । संबंधित द्वारा वर्ष **2011** की स्थिति में डी.एड. प्रशिक्षित होना चाहिए।
- यदि मार्कशीट नहीं है तो No पर click करें । No पर click करते ही यह जानकारी सामने आएगी ।

डी.एड प्रशिक्षित न होने से इस चरण की प्रक्रिया में आप भाग नहीं ले सकते ।

- Print पर click करें । इसकी दो प्रतियाँ सीधे Print होगी एक पर हस्ताक्षर कर संबंधित को दें । दूसरी अपने रेकार्ड में लगा लें ।
- Yes पर click करने के बाद निम्नानुसार जानकारी भी मांगी जाएगी ।
    - फॉर्म में अंकित जन्मतिथि को चेक करें क्या यह वही है जो संबंधित की 10 वीं की अकसूची में लिखी हुई है। यदि match करती है तो हॉ पर click करें अन्यथा No पर click करें
    - जन्मतिथि सही न होने पर No पर click करने वर निम्नानुसार जानकारी सामने आएगी ।

जन्म दिनांक सही न होने से आप प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते

- इसकी दो प्रति प्रिंट होगी उसमें से एक पर हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी को दें । दूसरी अपने रेकार्ड मे रखें
- जन्मतिथि सही होने पर हॉ पर click करें
- यदि SC/ST/OBC श्रेणी में हैं तो जाति प्रमाण पत्र देखें। यदि जाति प्रमाणपत्र है तो हॉ पर click करें । यदि नहीं है तो नहीं पर click करें ।

- जति प्रमाणपत्र होने पर यह देखे कि वह म.प्र. का मूल निवासी है या नहीं । होने पर हॉ पर क्लिक करें अन्यथा नहीं पर क्लिक करें।
- भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का प्रमाण पत्र होने पर हॉ न होने पर नहीं पर क्लिक करें ।
- विकलांग होने का प्रमाण पत्र होने पर हॉ न होने पर नहीं पर click करें ।
- कक्षा 12 वीं की परीक्षा की अंकसूची के आधार पर निम्नानुसार जानकारी भरें ।
  - बोर्ड का नाम
  - पास करने का वर्ष
  - प्रातांक
  - पूर्णांक
- इस आधार पर प्रतिशत अपने आप आ जाएगा । यदि अंक 50% से कम अंक है तो वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा **किन्तु यदि डी.एड. परीक्षा वर्ष 2003 से 2006 के मध्य उत्तीर्ण की गई हो तो हायर सेकेण्डरी में 45 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगें।**

  इस आधार पर निम्नानुसार जानकारी सामने आएगी ।

हायर सेकेण्ड्री परीक्षा में निर्धारित, न्यूनतम अंक न होने से अपात्र

- इसकी दो प्रति प्रिंट होगी निर्देशानुसार एक प्रति रेकार्ड मे एवं एक प्रति संबंधित को प्रदान करें।
- यदि 50% **(45 %वर्ष 2003 से 2006 के मध्य डी.एड. करने वाले अभ्यर्थी के प्रकरण में)** से अधिक अंक है तो आगे की जानकारी डी.एड. प्रशिक्षण का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम डालें ।
- संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद Proceed पर click करें ।
- सत्यापन की रसीद दो प्रतियों में उपलब्ध होगी। एक प्रति रेकार्ड में लगाएं एवं एक प्रति संबंधित को दें ।
- संबंधित अभ्यर्थी को पंजीयन रजिस्टर में अपने नाम के समक्ष Reference No. लिखने को कहें या अपात्र होने पर अपात्र लिखवाकर हस्ताक्षर करवानें के बाद जाने के लिए कहें ।

किसी भी समस्या के लिए एम.पी.ऑन लाईन के कस्टमर केअर नं 4019401 से 4019406 पर संपर्क करें या ई – मेल ashish.singh @mponline.gov.in **पर भेजें**

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./2012/1118 भोपाल, दिनांक 1-10-12

प्रति,

सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन,
निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल,
अहमदपुर, होंशगाबाद रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियोजन के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रक्रिया के संबंध में।**

संदर्भ :– **लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्रमांक/शि.क./2012/1106 दिनांक 28.09.12**

—00—

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के नियोजन के लिए ऑनलाईन सत्यापन प्रक्रिया के लिए तैयार किये गये प्रोग्राम में निम्नलिखित अनुसार संशोधन करने का कष्ट करें।

1. इस आधार पर प्रतिशत अपने आप आ जाएगा । यदि अंक 50% से कम अंक है तो वह अभ्यर्थी अपात्र माना जाएगा, **किन्तु यदि डी.एड. परीक्षा वर्ष 2003 से 2006 के मध्य उत्तीर्ण की गई हो तो हायर सेकेण्डरी में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होगें।**
इस आधार पर निम्नानुसार जानकारी सामने आएगी ।

हायर सेकेण्ड्री परीक्षा में निर्धारित, न्यूनतम अंक न होने से अपात्र

इसकी दो प्रति प्रिंट होगी निर्देशानुसार एक प्रति रेकार्ड मे एवं एक प्रति संबंधित को प्रदान करें।

2. यदि 50% **(45% वर्ष 2003 से 2006 के मध्य डी.एड़ करने वाले अभ्यर्थी के प्रकरण में)** से अधिक अंक है तो आगे की जानकारी डी.एड. प्रशिक्षण का वर्ष एवं विश्वविद्यालय का नाम डालें ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

1/10/2012
(एस.बी. धोटे)
उप संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.